(अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ क नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 92/2012

शिवनाथ प्रसाद

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
21.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 2208, दिनांक 24.07.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को 11.45 बजे पूर्वाहन में शिवनाथ प्रसाद, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–37/2007,पंचायत–अरना, प्रखंड–मशरक, थाना–मशरक जिला–सारण की दूकान की जांच जिला स्तरीय गठित जांच दल सं0 04(श्री अनिल चौधरी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी सारण, छपरा) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गयी– (1) लाभुको की सूची प्रदर्शित नहीं। (2) सयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं। (3) अभिलेख अनुमंडल कार्यालय में रखना। (4) कैशमेमो नहीं देना। (5) बी0पी0एल0 का खाद्यान्न 20 कि0ग्रा0 150 रूपया में देना। (6) 2.50 लीटर तेल 17 रूपये प्रतिलीटर देना। (7) उपकरण का सत्यापण नहीं कराना। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 592 ,दिनांक 22.03.2012 के द्वारा	

विकेता से कारण-पृच्छा किया गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.01.12 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मशरख के द्वारा विकेता को लाभुको की सूची उपलब्ध करायी गयी थी। इसके पूर्व कूपन के आधार पर विकेता के द्वारा अनुदानित सामग्री का वितरण किया जाता था। जांच की तिथि 10.01.12 को भण्डार शून्य रहने के कारण खाद्यान्न का सयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं था। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा दिये गए निर्देश के आलोक में दिनांक 05.01.12 को विकेता के द्वारा अपनी दूकान से संबंधित सभी कागजातो एवं पंजियों को अनुमंडल कार्यालय मढौरा में जमा कर दिया गया था जिसकी प्राप्ति रसीद विकेता के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। विकेता के द्वारा अपने उपभोक्ताओं को कैशमेमो दिया जाता है। सार्वजनिक वितरण से संबंधित मापतौल के सभी उपकरण माप तौल विभाग में विकेता के द्वारा जमा किया गया है। विकेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का उठाव कर प्राप्त कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विकेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2208, दिनांक 24.07.2012) एक मुखर आदेश नहीं है। अभिलेख में विकेता के विरूद्ध दिए गए कुल 2 उपभोक्ताओं का बयान रक्षित है, लेकिन न तो उसकी प्रति विकेता को उपलब्ध कराते हुए उनसे कारण पृच्छा किया गया, या न ही उनका नाम एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख ही कारण पृच्छा में किया गया।

विकेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना उचित नही है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विकेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओ पर विकेता से कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

21/5/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

21/5/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 355 /न्या0, दिनांक 22/5/15 /

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

22/5/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

22/5/15